

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/58/2026-DGTR

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 25.09.2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

सेतु मामला आईडी - AD/OI/059/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ से 6-अमीनो पेनिसिलैनिक एसिड (6-APA) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 6/58/2026-DGTR: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "पाटनरोधी नियमावली, 1995" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, क्यूल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 6-अमीनो पेनिसिलैनिक एसिड (6-APA) (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयात घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "6-अमीनो पेनिसिलैनिक एसिड" ("6-APA") है।
4. 6-APA एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक और पेनिसिलिन-G का प्रत्यक्ष व्युत्पन्न है। 6-APA का उपयोग औषधीय रसायन विज्ञान, एंजाइम अभियांत्रिकी, औद्योगिक जैव-प्रौद्योगिकी तथा नई एंटीबायोटिक औषधियों के विकास और रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के उद्देश्य से किए जाने वाले अनुसंधान में किया जाता है। यह बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक औषधियों के संश्लेषण में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण औषधि मध्यवर्ती है और इसका प्रमुख रूप से एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोकसासिलिन, फ्लुक्लोकसासिलिन और ऑक्सासिलिन सहित जीवन-रक्षक औषधीय उत्पादों के विनिर्माण में उपभोग किया जाता है।
5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की इकाई मीट्रिक टन (MT) है।
6. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष 2941 10 50 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
7. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी के दायरे और प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां उन सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित की गई हों।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने कहा है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और चीन जनवादी गणराज्य तथा यूरोपीय संघ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उत्पाद और आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं; वे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा उपभोक्ताओं द्वारा एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग की जाती हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

9. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य ("चीन जन. गण.") और यूरोपीय संघ ("ईयू") हैं।

घ. जांच की अवधि

10. आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रस्तावित की है, जो 12 माह की अवधि है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मानी है। क्षति जांच अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल है।

ड. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

11. आवेदन क्यूल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने कहा है कि भारत में पीयूसी का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने दावा किया है कि पूर्व में भारत में 6-APA का विनिर्माण किया जाता था; तथापि, पाटित आयातों के निरंतर दबाव के कारण भारत का 6-APA उद्योग पूर्णतः बंद हो गया था। आवेदक ने वित्त वर्ष 2024-25 में समान वस्तु का उत्पादन प्रारंभ किया है। अतः रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक कुल भारतीय घरेलू उत्पादन का 100% हिस्सा है।

12. आवेदक ने खुलासा किया है कि उसने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। तथापि, उसकी संबद्ध इकाई, अपिटोरिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड और उसकी होल्डिंग कंपनी, ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, जो 6-APA के अनुवर्ती उत्पादों का विनिर्माण करती हैं, ने क्षति अवधि, जिसमें जांच की अवधि भी शामिल है, के दौरान संबद्ध देशों से पीयूसी का आयात किया है। आवेदक ने स्पष्ट किया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में आवेदक द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने से पूर्व भारत में 6-APA का कोई घरेलू उत्पादन नहीं था। तदनुसार, आवेदक की संबद्ध इकाई को अनुवर्ती उत्पादों के उत्पादन के लिए आयात करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि के दौरान 6-APA के पाटन के कारण आवेदक का 6-APA उत्पादन भी प्रभावित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान भी आयात किए गए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक की संबद्ध इकाइयों द्वारा किए गए आयात पुनर्विक्रय के लिए नहीं थे, बल्कि अनुवर्ती उत्पादों के विनिर्माण में उपभोग किए गए थे। उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक की संबद्ध इकाई द्वारा किए गए आयात, उत्पादक के रूप में आवेदक की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करते हैं।

13. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है। आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने चीन के अभिगम प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) का उल्लेख करते हुए उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब

तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

15. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में पीयूसी की लागत और कीमत से संबंधित सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, किसी तीसरे देश से अन्य देशों को निर्यात कीमतों से संबंधित सूचना भी उपलब्ध नहीं है। साथ ही, किसी तीसरे देश (वर्तमान मामले में ईयू) से भारत को निर्यात कीमत पर भी विचार नहीं किया जा सका क्योंकि ईयू पर भी पाटन करने का आरोप लगाया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-1 का पैरा 7 किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देता है। आवेदक ने जर्मनी में कच्ची सामग्री और उपयोगिताओं की कीमतों, घरेलू उद्योग के मानदंडों तथा घरेलू उद्योग के अन्य रूपांतरण और बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, अन्य लागत तत्वों से संबंधित विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर, अर्थात् घरेलू उद्योग की विधिवत समायोजित उत्पादन लागत में बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा लाभ के लिए उचित वृद्धि जोड़कर निर्धारित किया गया है।

ii. यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने कहा है कि उसने ईयू में संबद्ध वस्तु की प्रचलित कीमतों के साथ-साथ ईयू से तीसरे देश के बाजारों को संबद्ध वस्तु के निर्यात की कीमत का विवरण प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु ऐसी कीमतें स्थापित करने के लिए सूचना का कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं मिल सका। तदनुसार, उसने जर्मनी में कच्ची सामग्री और उपयोगिताओं की कीमतों, घरेलू उद्योग के मानदंडों तथा घरेलू उद्योग के अन्य रूपांतरण और बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण करने का प्रस्ताव किया। यद्यपि आवेदक ने जर्मनी में कच्ची सामग्री और उपयोगिताओं की कीमतों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है, यूरोपीय संघ के विनिर्माताओं की रूपांतरण लागत और बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों से

संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। तदनुसार, जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य को, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा लाभ के लिए उचित वृद्धि सहित विधिवत समायोजित करके, विचार में लिया गया है।

iii. निर्यात कीमत

17. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम्स के सौदा-वार आयात आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर किया गया है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, कमीशन, बैंक प्रभार, ऋण लागत और अंतर्देशीय भाड़े के मद में समायोजन का दावा किया गया है।

iv. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक है और न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. आवेदक ने दावा किया है कि वह एक अस्थापित उत्पादक है और संबद्ध देशों से पाटित आयात घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आवेदक ने दावा किया है कि वह अपने अपेक्षित निष्पादन के अनुरूप उत्पादन और बिक्री प्राप्त नहीं कर सका है। इसके अतिरिक्त, जांच अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग की तुलना में क्षमता उपयोग कम रहा है। आवेदक ने दावा किया है कि जांच अवधि के दौरान उसका वास्तविक निष्पादन अपेक्षित अनुमानों से कम रहा है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर भारत में प्रवेश कर रहे हैं। आवेदक को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के अनुरूप अपनी कीमतें कम करने के लिए विवश होना पड़ा है। इसके

अतिरिक्त, बिक्री लागत में कमी के बावजूद आवेदक को जांच अवधि के दौरान हानि हुई है, वह नकद हानि वहन कर रहा है तथा उसे संचित ऋणात्मक प्रतिफल प्राप्त हुए हैं।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की मात्रा प्रथम दृष्टया नगण्य नहीं है और जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु के लगभग समस्त आयात संबद्ध देशों से हुए हैं। पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ मानते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं, जिसमें संबद्ध आयातों का प्रतिकूल प्रभाव मुख्यतः घरेलू उद्योग के मात्रा और कीमत संबंधी मानदंडों पर उनके प्रभाव के माध्यम से प्रकट होता है, और कथित पाटन तथा ऐसी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के भी पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी सारवान क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जो यदि लगाई जाती है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।
22. आवेदक ने प्राधिकारी से पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 13 के अनुसार प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। जांच के उपयुक्त चरण पर, यदि और जिस सीमा तक आवश्यक हो,

इस पर विचार किया जाएगा तथा हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

झ. प्रक्रिया

23. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला आईडी-AD/OI/059/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज-योग्य PDF/MS-Word प्रारूप में तथा डेटा फाइलें MS-Excel प्रारूप में हों।
25. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर, इस जांच शुरुआत अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकता है।
27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की समय-सारणी, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना से संबंधित समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं की जानकारी रखने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (<http://dgtr.gov.in/>) नियमित रूप से देखें।

ट. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला आईडी - AD/OI/059/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात् गोपनीय पाठ (CV) और अगोपनीय पाठ (NCV), जात हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां संलग्न सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 37 दिनों के भीतर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, संबंधित निर्दिष्ट कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

31. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

32. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरु होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से आगे अतिरिक्त समय विस्तार के अनुरोधों पर पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
33. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

34. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।
35. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी प्रस्तुति (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करना आवश्यक है।
36. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी

प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

37. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।
38. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए; और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसकी प्रकृति के अनुसार ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
39. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्त्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण, जिसमें यह बताया गया हो कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा।
40. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिसंचरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
41. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को

सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

42. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

43. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. असहयोग

44. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

Digitally signed by

Amitabh Kumar

Date: 25-09-2026

17:27:06

अमिताभ कुमार

निर्दिष्ट प्राधिकारी